अंतिम तिथि 31.8.09

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र.शासन
सतपुड़ा भवन, भोपाल 462004

क्रमॉक / 301 / आउशि / छा.शाखा. / 2009 / भोपाल दिनॉक 22/7/2009

प्रति,

1. कुल सचिव,
   समस्त विश्वविद्यालय,
   मध्यप्रदेश ।
2. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,
   उच्च शिक्षा,
   इंदौर–उज्जैन / भोपाल–होशंगाबाद / ग्वालियर–चंबल / रीवा / जबलपुर–सागर संभाग,
   मध्यप्रदेश ।
3. प्राचार्य,
   समस्त शासकीय महाविद्यालय,
   मध्यप्रदेश।

विषयः–मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्रों को पी.एच.डी. हेतु छात्रवृत्ति का प्रदाय

——0——

राज्य शासन व्दारा मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति / अनसूचित जनजाति के छात्रों के लिये पी.एच.डी. छात्रवृत्ति वर्ष 2009–10 हेतु छात्र / छात्राओ से आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिये संभाग के प्रमुख समाचार पत्रों, एवं रोजगार निर्माण में विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है जिसकी अंतिम तिथि 31.8.09 निर्धारित की गई है ।

अतः छात्र–छात्राओं के आवेदन अग्रेषित करते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखा जाये कि आवेदन पत्र दिनॉक 31.8.09 तक इस कार्यालय को प्राप्त हो जायें । पत्र के साथ मार्गदर्शी सिध्दांत की प्रति एवं आवेदन पत्र संलग्न कर भेजा जा रहा है । निर्धारित तिथि के बाद आये आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जा सकेगा ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

21.7.2009

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त
उच्च शिक्षा म.प्र.

अंतिम तिथि 31.8.09

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र.शासन
सतपुडा भवन, भोपाल 462004

/ /विज्ञापन/ /

विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत अनसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को पी.एच.डी.के लिए छात्रवृत्ति हेतु ।

योजना वर्ष 2009–10

शिक्षा सत्र 2008–09 से विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को पी.एच.डी. के लिए छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत वर्ष 2009–10 मे ंभी निरंतर जारी रखने का निर्णय लिया है । इस योजना के नियम/मार्गदर्शी सिध्दांत निम्नानुसार होंगे :–

1. <u>पात्रता:–</u>

1. ऐसा उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो, तथा जिसने :–
   पी.एच.डी. के शोध कार्य्र हेतु भारत के किसी भी विश्वविद्यालय मे ंशोध उपाधि समिति में साक्षात्कार के उपरांत पंजीयन कराया हो एवं पंजीयन प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय व्दारा जारी किया गया हो ।
2. स्नातकोत्तर उपाधि मे ंविश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों ने निर्धारित न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त किये हों ।
3. अनूुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों का जाति प्रमाण पत्र हो जो कलेक्टर/सक्षम अधिकारी से प्राप्त किया हो ।

4. छात्र–छात्राओं की पालकों की आय सीमा म.प्र.शासन आदिम जाति कल्यसाण विभाग व्दारा निर्धारित रूपये 1,00,000/–(रूपये एक लाख) की अधिकतम सीमा से अधिक न हो ।

(4) पात्रता :–

1. मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो जिसका प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से प्राप्त किया हो ।

2 पात्रता के लिये वि.वि. में पंजीयन अनिवार्य होगा । साथ ही यदि कोई आवेदक पूर्व से शोधरत है तो तीन वर्ष की अधिकतम सीमा के अधीन शोध की शेष अवधि के लिये छात्रवृत्ति देने पर विचार किया जा सकेगा ।

3 छात्रवृत्ति पजीयन तिथि से 3 वर्ष तक, अथवा शोध कार्य विश्वविद्यालय में जमा किये जाने की दिनॉक तक जो पहले हो, देय होगी ।

4 छात्रवृत्ति धारक जिस शोध कार्य के लिये छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा है उसके लिये वह कोई अन्य छात्रवृत्ति/वजीफा प्राप्त नहीं करेगा, यदि छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता को पूर्व से ही कोई छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही है, तो इस छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के लिये ऐसी छात्रवृत्ति छोडना पडेगी । अर्थात एक समय में एक ही छात्रवृत्ति की पात्रता होगी । अग्रेषण कर्ता अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करने के बाद ही आवेदन पत्रों को अग्रेषित करेंगें ।

(5) चयन प्रकिया :–

1. शोधार्थियों का चयन केवल छात्रवृत्ति की सख्या की सीमा में स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर बनाई गई चयन सूची में गुंणांक क्रमानुसार किया जावेगा ।

2. यदि कोई आवेदक /शोधार्थी संबंधित संकाय में स्नातकोत्तर स्तर पर समान अंक प्राप्त करते हैं तो वहॉ एम.फिल.धारक को प्राथमिकता दी जावेगी ।

3. यदि दोनों आवेदक एम.फिल हों एवं समान अक हों तो जिसका पंजीयन पूर्व का है उसें प्राथमिकता दी जावेगी ।

(6) **छात्रवृत्ति का नवीनीकरणः–** 1.छात्रवृत्ति का नवीनीकरण विश्वविद्यालय/केन्द्र अध्यक्ष व्दारा प्रतिवर्ष किया जावेगा । 2. नवीनीकरण के लिये नियमित उपस्थिति, संतोषजनक प्रगति, एवं उत्तम आचरण, मुख्य शर्तें होगीं । 3.शोध छात्रों को पूर्व वर्षो में स्वीकृत छात्रवृत्ति के अभिप्रमाणित आदेशों की प्रतियॉं सलंग्न कर छात्रों को शोध कार्य का प्रगति प्रतिवेदन, एवं उपस्थिति पत्रक, एवं शोध पंजीयन दिनॉक सहित निर्देशक/गाईड से प्रमाणित कराकर विश्वविद्यालय के माध्यम से आयुक्त उच्च शिक्षा कार्यालय को भेजना होगा । इसके बाद ही अगले वर्ष की छात्रवृत्ति देय होगी ।

(7) छात्रवृत्ति का नवीनीकरण उक्त आधार पर किया जाकर बजट की मॉग विश्वविद्यालय/केन्द्र अध्यक्षों के व्दारा सबंधित अतिरिक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय उच्च शिक्षा से की जावेगी । जो आवश्यकतानुसार क्षेत्रीय संभागीय कार्यालय उच्च शिक्षा विभाग व्दारा विश्वविद्यालयों/केन्द्र अध्यक्षों को आवंटित की जावेगी ।

(8) म.प्र. राज्य के बाहर के विश्वविद्यालयों में पंजीकृत शोधार्थियों को उपरोक्तानुसार शोध कार्य का संतोषजनक प्रगति प्रतिवेदन एवं उपस्थिति पत्रक अपने निर्देशक/गाईड से प्रमाणित कराकर विश्वविद्यालय के माध्यम से आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र. भोपाल को विश्वविद्यालय के विनियम/अध्यादेश मे ंउल्लेखित निर्धारित तिथि/अवधि के भीतर भेजना होगा । जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त होने एवं सतोषजनक पाये जाने पर नवीनीकरण आयुक्त उच्च शिक्षा व्दारा किया जाकर संबधित विश्वविद्यालय/केन्द्र अध्यक्ष को छात्रवृत्ति की राशि बैंक

ड्राफ्ट/चैक के माध्यम से भेजी जावेगी । एवं संबंधित विश्वविद्यालय एवं केन्द्र अध्यक्ष व्दारा यह राशि शोधार्थियों को भुगतान कर जानकारी (प्राप्ति की रसीद के साथ) आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र. को प्रस्तुत करेंगें । भुगतान प्राप्ति की सूचना सबंधित शोधार्थी आयुक्त उच्च शिक्षा को प्रेषित करेंगा । यह शोधार्थी का भी उत्तरदायित्व होगा ।

आगामी नवीनीकरण अपेक्षित वितरण एवं भुगतान की जानकारी प्राप्त होने पर ही किया जा सकेगा । अन्यथा नहीं ।

9. आलोच्य छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष 100 विद्यार्थियों को अधिकतम सीमा/कोटे के अधीन रहते हुए अनुसूचित जाति के 40 एवं अनुसूचित जनजाति के 60 विद्यार्थियों को प्रतिमाह रूपये 8,000/–(रूपये आठ हजार मात्र) या समय समय पर शासन व्दारा निर्धारित दर से देय होगी । जिसका निम्नानसार संकाय वार कोटा निर्धारित किया गया है ।

स.क्र.	संकाय	अनसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1.	क्ला	04	06
2.	समाजिक विज्ञान संकाय	08	12
3.	विज्ञान संकाय	06	09
4.	जीव विज्ञान संकाय	06	09
5.	गृह विज्ञान संकाय	02	03
6.	वाणिज्य संकाय	08	12
7.	प्रबंधन संकाय	02	03
8.	विधि संकाय	04	06
	योग	40	60

नोटः— प्राप्त आवेदन पत्रों की मेरिट सूची सकायवार बनाई जावेगी ।

(10) उपरोक्त मापदंडों में संशोधन विचाराधीन है जो मान्य एवं बंधनकारी होगा । अतः आवेदक को आवेदन करने मात्र से कोई अधिकार निर्मित नहीं होगा । ऐसे सभी मामले जिनकी व्यवस्था इन नियमों में नहीं है में आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र. का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।

(11) आवेदन पत्र इस कार्यालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी छात्रवृत्ति उच्च शिक्षा सतपुडा भवन, भोपाल के नाम से दिनाँक 31.8.09 तक प्राप्त हो जाना चाहिये । अन्य जानकारी www.mp.gov.in/highereducationmp उच्च शिक्षा विभाग की बैबसाईट पर उपलब्ध है । साथ ही विभाग के क्षेत्रीय संभागीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा/विश्वविद्यालय के कुल सचिव एवं शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यो से भी प्राप्त की जा सकती है ।

(12) निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा ।

Ashish
21.7.2009

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त
उच्च शिक्षा म.प्र.

आवेदन का प्रारूप

विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को पी.एच.डी. करने हेतु छात्रवृत्ति आवेदन पत्र वर्ष 2009–10 ।

अंतिम तिथि 31.8.09

संकाय ....पंजीयन तिथि...

1.	शोध छात्र का पूरा नाम	
2.	पिता/अभिभावक का पूरा नाम	
3.	विद्यार्थी का पता स्थायी/ पत्र व्यवहार का पता	
4.	विश्वविद्यालय का पूरा नाम जिसमें आवेदक पंजीकृत है ।	
5.	पीएच.डी. का विषय, शीर्षक	
6.	पंजीयन का आवेदन क्रमॉक एवं दिनॉक छाया प्रति संलग्न करें ।	
7.	शैक्षणिक योग्यताओं का विवरण सत्यापित सूची संलग्न करें ।	

क्रं.	परीक्षा का नाम	वोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	परीक्षा उत्तीर्ण का वर्ष	अनुक्रमॉक	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

8.	अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति कलेक्टर /सक्षम प्राधिकारी व्दारा दिया गया हो ।	
9.	म.प्र.का मूल निवासी प्रमाण पत्र जो	

	कलेक्टर/सक्षम अधिकारी व्दारा जारी किया गया हो ।	
10.	माता पिता अभिभावक की समस्त स्त्रोंतों से प्राप्त वार्षिक आय प्रमाण पत्र कलेक्टर/तहसीलदार व्दारा जारी प्रमाण पत्र की मूल प्रति	
11.	उस महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम जिसमें शिक्षा सत्र 2008–09 में परीक्षा उत्तीर्ण की हो । डिग्री /अंकसूची की प्रमाणित प्रति	
12.	पी.एच.डी. की अवधि	
13.	शोध केन्द्र का नाम	
14.	मार्गदर्शक प्रोफेसर/गाईड/सहमार्गदर्शक (को गाईड का विवरण) 1.नाम 2.महाविद्यालय/सेवारत संस्थानका नाम 3. पद नाम	

घोषणा

1. मैं एतद व्दारा यह घोषित करता हूँ/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में मेरे व्दारा दिये गये विवरण पूर्णतः सत्य हैं ।
2. मैं यह भी घोषित करता हूँ/करती हूँ कि आवेंदित छात्रवृत्ति के लिये मेरा चयन किया जाता है तो मैं पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से शोध कार्य में संलग्न रहूँगा/रहूँगी । और यह कि मैं किसी अन्य स्त्रोंतों से कोई दूसरी छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करूंगा/करूंगी ।
3. मैं यह भी घोषित करता/करती हूँ कि में कोई सेवा या व्यवसाय आदि नहीं करूंगा/करूंगी ।
4. मैं यह भी घोषित करता हूँ कि यदि मेरे व्दारा शोध अवधि में कहीं नौकरी/व्यवसाय करते हुए पाये जाने पर अर्थात घोषणा पत्र में दिये गये शर्तो के विपरीत कार्य करने पर शासन व्दारा शोध छात्रवृत्ति में द ी गइ राशि को ब्याज सहित वापिस करूंगा/करूगी ।
5. स्थान :–

दिनाँक :–

संलग्न :–सहपत्रों की संख्या   आवेदक के हस्ताक्षर

विश्वविद्यालय का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... को दिनाँक ....को पीएच.डी.विषय.. ....संकाय.. में नियमित/पूर्णकालिक छात्र के रूप में प्रवेश लिया गया है और इनका शोध कार्य अभी जारी है । मैने इस आवेदन पत्र की पृविष्टियों की जॉच कर ली है वे सही है इनका शोध केन्द्र ....है ।

मैं यह प्रमाणित करता हूॅ कि उक्त शोधार्थी का कार्य व्यवहार एवं आचरण अच्छा/उत्तम कोटि का है ।

कुल सचिव/संस्था प्रमुख के
हस्ताक्षर एवं सील